Helpline **1064** **94135-02834**

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- बाड़मेर में ग्राम विकास अधिकारी 6 हजार रूपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार
- आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी

जयपुर, *12 मार्च, शनिवार।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर बाड़मेर इकाई द्वारा आज बाड़मेर में कार्यवाही करते हुये जुंजाराम, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत भीलों की ढाणी कल्ला पंचायत समिति धोरीमन्ना, जिला बाड़मेर को परिवादी से 6 हजार रूपये की रिश्वत लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की बाड़मेर इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि मेरे पिताजी के नाम स्वीकृत टांका के मस्ट्ररोल नहीं भरने एवं मस्टरोल भरने एवं जॉब कार्ड में 100 दिन पूरा करने की एवज में जुंजाराम ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत भीलों की ढाणी कल्ला द्वारा 6 हजार रूपये रिश्वत राशि मांगकर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी जोधपुर इकाई के उप **महानिरीक्षक पुलिस श्री कैलाश विश्नोई** के निर्देशन में एसीबी बाड़मेर इकाई के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री रामनिवास** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज **श्री मुकनदान, पुलिस निरीक्षक** द्वारा मय टीम के ट्रेप कार्यवाही करते हुये **जुंजाराम** पुत्र श्री गोमाराम, निवासी ग्राम पंचायत आलमसर खुर्द पुलिस थाना धोरीमन्ना जिला बाड़मेर हाल **ग्राम विकास अधिकारी** ग्राम पंचायत भीलों की ढाणी कल्ला पंचायत समिति धोरीमन्ना जिला बाड़मेर को परिवादी से **6 हजार रूपये की रिश्वत** राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपी से पूछताछ जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की *टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.* 1064 *एवं* ***Whatsapp*** *हैल्पलाईन नं.* 94135–02834 पर 24x7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।